92

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1462—दो/2011 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20—01—2011 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 538/अपील/2010—11.

.....

तसविरिया पत्नी चुनकाऊ कोल
निवासी ग्राम कुशहा तहसील
हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1— विटटन कोल पुत्री भेल्ली कोल
2— धोखिया पति अकलिया कोल
निवासी ग्राम कुशहा तहसील
हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

## आदेश

(आज दिनांक 13/11/2017 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—01—2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता

1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 ता 3 द्वारा आवेदक एवं अनावेदक कमांक 4, 5 ( अना0 3, 4 मृत होने से नाम विलोपित) को बतौर प्रत्यर्थी पक्षकार संयोजित करते हुये विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील हुजूर के प्रकरण कमांक 133/अ–27/01–02 में आवेदक के पक्ष में पारित नामान्तरणआदेश दिनांक 13.6.01 के विरूद्व अवधि बाधित अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.8.2001 में विधि सम्मत व उपलब्ध साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये आवेदक के पक्ष में पारित नामांतरण आदेश जो कि ग्राम कुशहा स्थित वादग्रस्त भूमि 16 एवं 18 दोनों का कुल रकवा 3.56 एकड़ से संबंधित है। उक्त आदेश को आपस्त करते हुये दोषपूर्ण आदेश पारित किया जिससे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 20.1.2011 को अपील निरस्त की जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तरवादिया विटट्न कोल जो भेल्ली की पुत्री और उपरोक्त वादग्रस्त भूमि खसरा वर्ष 79'80 से लेकर 2001 तक भेल्ली की मां फुलझरिया के नाम दर्ज अभिलेख था एवं फुलझरिया की मृत्यु के बाद भेल्ली का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इस प्रकार विटट्न कोल का उक्त वादग्रस्त भूमियों में हित निहित है। विचारण न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी की पुल्ली को आधार मानकर आदेश पारित किया गया है जिसमें न तो इस्तहार का प्रकाशन

किया गया एवं न ही हितबद्व पक्षकार को साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर ही दिया है। प्रशनाधीन भूमियों के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण माननीय तृतीय व्यवाहर अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग–1 रीवा द्वारा दिनांक 1.9.03 को निरस्त किया जा चुका है। सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा का आदेश स्थिर रखने में अपर आयुक्त रीवा द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने योग्य है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 538/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 20.1.11 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर